स्त्री शिक्षा में महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले का योगदान

मनोज कुमार*

सारांश

ऐतिहासिक धर्म ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से स्त्री को मात्र वस्तु समझा गया है। स्त्री को शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि भारतीय समाज ने स्त्री को अनेक बन्धनों में बाँधकर रखा था। जातिगत विवाह, बाल–विवाह, सती प्रथा, बहु पत्नी–विवाह, अशिक्षा इन सब से निकलकर भारतीय स्त्री को अपनी अलग पहचान बनाना आवश्यक हो गया। भारतीय नारी शिक्षा में ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध के बाद फुले दम्पत्ति ने देश में महिलाओं के प्रति फैले आडम्बर, जटिल कुरीतियों को सशक्त व सार्थक चुनौती दी। महात्मा बुद्ध के बाद यदि किसी ने पीड़ित व शोषित वर्ग के लोगों को ऊँचा उठाने का साहस किया तो सिर्फ फुले दम्पत्ति ने किया। फुले दम्पत्ति द्वारा एक बार पुनः नारी का खोया सामाजिक सम्मान शिक्षा के माध्यम से दिलाने का प्रयास किया गया। जिसका तत्कालीन समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिस कारण सकारात्मक सोच रखने वाले अधिकांश लोगों ने फुले दम्पत्ति के कदम की सराहना की और इस व्यवस्था में सहयोग दिया। जो तत्कालीन समय में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फुले दम्पत्ति के प्रयासों की प्रासंगिकता को वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द– कन्याशाला, दम्पत्ति, सूत्रधार, अर्धांगिनी, कार्यकर्त्री, कन्या पाठशालाएं, चहुंमुखी

प्रस्तावना

19 वीं शताब्दी के पुनर्जागरण एवं सामाजिक क्रान्ति व नारी उत्थान के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले ने शोषण मुक्त स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया। दलित एवं सभी वर्गो की स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा के प्रचार–प्रसार को प्रोत्साहन करना आवश्यक मानते हुए पाठशालाएं, कन्या पाठशालाएं एवं भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला, महिला छात्रावास आदि खुलवाये। मैकाले की शिक्षा नीति (फिल्टर नीति) का विरोध किया और 1882 में हण्टर कमीशन के समक्ष प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क करने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन ज्योतिबा फुले जी द्वारा दिया गया, जो अविस्मरणीय प्रयास रहा। शैक्षिक क्षेत्र में ज्योतिबा फुले का योगदान व शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रासंगिकता तथा नारी उद्धारक में रूप में उनके कार्यों का अध्ययन किया गया है तथा नारी शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान महिलाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करती है।

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य स्त्री शिक्षा में महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रिबाई फुले का योगदान सम्बन्धित पहलुओं का ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालना और भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी की परिकल्पना है कि फुले दम्पत्ति द्वारा किये गये शैक्षिक कार्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर उनकी प्रासंगिकता दर्शाना। जिससे वर्तमान पीढ़ी उनके कार्यों को अपना सके एवं नारी को सम्मान दे सके।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक स्रोतों में लेखकों की पुस्तकों, शोध पत्रों, पत्रिकाओं एवं इन्टरनेट द्वारा अध्ययन किया गया है।

स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण

ज्योतिबा फुले विश्व के पहले महापुरुष थे जिन्होंने स्त्री को पुरुष से भी श्रेष्ठ माना है। उनकी दृष्टि में स्त्री को वे सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो पुरुषों को प्राप्त हैं। यदि पुरुष बहुपत्नि विवाह का अधिकारी है, तो स्त्री भी बहुविवाह की अधिकारिणी होनी चाहिए अन्यथा पुरुषों के ये अधिकार निषिद्ध कर देना चाहिए।[1]

* शोधछात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

19वीं सदी के सुधार आन्दोलनों व सुधारवादियों को स्त्री की स्थिति को लेकर काफी गहरी चिन्ता थी। स्त्री की सामाजिक स्थिति ठीक न थी।[2] स्त्रियों की भूमिका केवल गृह कार्य तक ही सीमित थी। बच्चों का पालन–पोषण तो प्रकृति से ही स्त्रीत्व से सम्बद्ध है। प्राचीन काल से वर्तमान तक स्त्रियों की यही भूमिका मान्य रही। वे चाहे खेतों में कार्य करें या सफेदपोश नौकरियों में आज भी उसकी यही कार्यकारी भूमिका गौण है। ज्योतिबा ने शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों को जो अधिकार दिलाये वह स्मरणीय हैं। ज्योतिबा के क्रांतिकारी विचारों ने भारतीय सामाजिक इतिहास को शक्ति तथा गरिमा प्रदान की है। 21वीं सदी की ओर जाते समय देश को उनके विचारों की यह विरासत नये काल की प्रेरणाओं का परिचय देगी। आज जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वह ज्योतिबा के जन्म से पूर्व अस्तित्व नहीं थी, न ही समाज के सभी वर्गों को शिक्षा का अधिकार ही प्राप्त था।

शिक्षा नीति को सही दिशा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः ज्योतिबा फुले का अमूल्य योगदान है। जो निम्नवत् है–

विद्यालय एवं स्थानीय भाषा का विकास– अगस्त 1848 ई. में ज्योतिबा द्वारा स्थापित किये गये बालिका विद्यालय से सारे समाज के साथ–साथ अंग्रेज सरकार की भी आंखें खुल गयीं। संस्कृत केवल उच्चवर्गीय भाषा होने से एकाधिकार की द्योतक बन गयी। ज्योतिबा फुले ने स्थानीय भाषा में ही शिक्षण की व्यवस्था की, पाठ्यक्रम भी मराठी में था। उनकी नजर में उसी भाषा के माध्यम से शिक्षा की प्राप्ति हो जो रोजमर्रा की भाषा हो। मनुष्य उसी के माध्यम से अच्छी तरह सीख पायेगा। अंधकारमय समाज में ज्योतिबा द्वारा ज्ञान के एक दीपक ने अंग्रेजों को भी सुझाव दिए, कि भारत में विभिन्न प्रांत हैं। विभिन्न प्रांतों की अपनी स्थानीय भाषा है। अतः उसी स्थानीय भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। अंग्रेजों द्वारा 1854 ई. की शिक्षा नीति **चार्ल्स वूड डिस्पैच** में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ज्योतिबा फुले ने विद्यालयों के विकास के लिए जगह–जगह विद्यालय खोले एवं शिक्षा का प्रसार किया और भारतीय समाज को वास्तविकता से अवगत कराने हेतु ज्योतिबा फुले ने स्थानीय भाषा साहित्य का सृजन किया।[3] जिससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने साहित्य को दूसरों से सुनकर या पढ़कर अपनी वास्तविक स्थिति को जान सके और ऊपर उठ सके। ज्योतिबा फुले द्वारा पूरे महाराष्ट्र में विद्यालयों का विकास कराया गया। उनके द्वारा संचालित 18 विद्यालय का जिक्र बंबई प्रेसीडेंसी के शिक्षा अभिलेखों से मिलता है। उन्होंने प्रौढ़–शिक्षा, स्त्री–पुरुष के लिए अलग–अलग रात्रि पाठशालाएं खोली।[4]

प्रौढ़ शिक्षा– ज्योतिबा ने 1855 ई. में प्रौढ़ शिक्षा को आरम्भ किया। उन्होंने खेतों में या अन्य जगह काम करने वाले मजदूरों और गृहणियों के लिए रात्रि पाठशालाएं खोलीं एवं अध्यापन कार्य चलाया। यह भारत की पहली रात्रि पाठशाला व प्रौढ़शाला थी। उस समय शिक्षा घर–घर पहुंचाने की पहल चल रही थी। ज्योतिबा फुले ने श्रमिकों के लिए रात्रि स्कूल खोलकर उन लोगों का शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। वर्तमान में भारत सरकार साक्षरता अभियान व सर्वशिक्षा अभियान पूरे देश में चला रही है। जो 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने पुणे के आस–पास के गांवों में प्रारम्भ किया था।

छात्रावास की व्यवस्था – ज्योतिबा फुले ने अनेक स्कूल खोले। जब बच्चे दूरदराज से पढ़ने आने लगे तो उन्होंने अपने घर के समीप ही एक छात्रावास की व्यवस्था की। इस छात्रावास में बंबई, ठाणे एवं जुन्नार आदि स्थानों के 25–30 छात्र थे। गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क व्यवस्था थी। ज्योतिबा की मृत्यु के बाद छात्रावास सावित्रीबाई फुले एवं उनका पुत्र यशवंत राव ने चलाया।

हंटर कमीशन को सुझाव– ज्योतिबा द्वारा अनेक स्तरों पर सुझाव दिये गये जो निम्नवत् हैं–

अ. प्राथमिक शिक्षा पर जोर

1– अध्ययन व शैक्षणिक यंत्र के बीच सुधार किया जाना चाहिए।
2– शिक्षकों की नौकरी की शर्तें निर्धारित हों।
3– शिक्षकों के लिए नियम व स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण होना चाहिए।
4– वांछनीय शिक्षकों का वेतन और उनका स्तर ऊंचा उठाना आवश्यक है।
5– अध्यापन की परीक्षा पास व्यक्ति को ही नियुक्ति दी जाए।
6– उसकी स्थिति सुधारने हेतु 12 रू0 प्रतिमाह से अधिक वेतन दिया जाए।
7– बड़े शहरों के अनुसार उनका वेतन भी बढ़ना चाहिए।
8– प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
9– नगरपालिकाओं के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था हो।
10–नगर पालिका के पास जो फंड का पैसा बचे उससे छात्रों को पुरस्कार व छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। इससे छात्रों में उत्साह व रुचि बनी रहेगी और शिक्षक व छात्र के अच्छे प्रदर्शन से विद्यालय की क्षमता बढ़ेगी।

ब. उच्च शिक्षा में ज्योतिबा फुले का विचार– बंबई (मुंबई) विश्वविद्यालय से छात्रों को स्वाध्यायी रह कर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। अन्य विश्वविद्यालयों से भी आग्रह किया गया। जिससे नवयुवक घर पर रहते हुए, अपने कार्य करते हुए स्नातक बन सकेंगे और शिक्षा का प्रसार होगा।[5]

स. आरक्षण व छात्रवृत्ति प्रस्ताव के प्रथम प्रस्तावक– महात्मा ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम 1882 ई. में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण व सबके लिए मुक्त शिक्षा की मांग उठाई।[6] सरकारी छात्रवृत्ति देने से अन्य वर्गों की उपेक्षा होगी और जो पहले से ही सुशिक्षित घरानों से हैं वहां प्रोत्साहन राशि देने से कोई लाभ नहीं। जहां शिक्षा में अरूचि है वहां छात्रवृत्ति से शिक्षा का प्रसार हो सकेगा।

द. तकनीकि शिक्षा– अभियांत्रिकी विद्यालयों हेतु ज्योतिबा फुले ने सुझाव दिया और अहमदाबाद के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में दलित नवयुवकों को प्रवेश निःशुल्क दिलवाया। सत्यशोधक के माध्यम से ऐसे कई कार्य किए गए जो उनके शिक्षा के क्षेत्र किए गए योगदान को स्पष्ट करता है।[7]

1. स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले का कार्य

भारतीय स्त्रियों के समस्त मानवाधिकार छीन लेने से उसकी जो दयनीय स्थिति हो गई थी, उससे उबरने एवं समानता व शिक्षा दिलाने के प्रयासों की कड़ी में अत्यंत महत्त्वपूर्ण नाम सामाजिक क्रांति शैक्षिणिक क्रान्ति के प्रणेता ज्योतिबा फुले का आता है। उनका जीवन उनकी स्वप्रेरणा एवं स्वप्रयासों से बना था। भारतीय नारियों को सम्मानजनक स्थिति दिलाने के लिए उन्होंने वास्तव में ही ऐतिहासिक कार्य किया। नारी शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकन मिशन द्वारा संचालित कन्याशाला, जिसे मिस फर्राट नामक विदेशी महिला मिशनरी चला रही थी। ज्योतिबा उससे बहुत प्रभावित हुए और पूना में लड़कियों के लिए ऐसी ही पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। प्रथम पाठशाला की स्थापना बुधवार पेठ के मकान में 1 जनवरी 1848 ई. को की गई तथा 15 मई को कन्या पाठशाला की स्थापना की।[8]

युग पुरुष की संज्ञा उसे ही दी जाती है, जो एक नवीन विचार प्रणाली न केवल समाज के सम्मुख रखता है, बल्कि उसका प्रयोग भी करता है। ज्योतिबा फुले ने पतन के गर्त में गिरे सम्पूर्ण भारतीय समाज के उत्थान के लिए न केवल एक आश्चर्य व नवीन विचार प्रणाली ही प्रस्तुत की, बल्कि उसका प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया और वह है नारी शिक्षा की व्यवस्था।

नारी शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना ज्योतिबा फुले व उनके मित्र सदाशिवराव गोवंदे ने स्त्री शिक्षा के लिए सर्वप्रथम प्रयास अपने ही घर से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना प्रारम्भ किया और स्वयं कन्याओं की शिक्षा हेतु एक पाठशाला पूना में खोली। प्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना 1 जनवरी 1848 ई. को की गयी। उस समय छात्रों की संख्या 6 थी। प्रवेश प्राप्त छात्रों के नाम इस प्रकार हैं–

1.	अन्नपूर्णा जोशी	उम्र 5 वर्ष
2.	सुमती मोकाशी	उम्र 4 वर्ष
3.	दुर्गा देशमुख	उम्र 6 वर्ष
4.	माधवी थत्ते	उम्र 6 वर्ष
5.	सोर पवार	उम्र 4 वर्ष
6.	जानी करडिले	उम्र 5 वर्ष

नोट– यह आकड़े डॉ0 हेमलता आचार्य की पुस्तक से लिये गये हैं।[9]

अपनी कन्या पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए उन्हें अन्य शिक्षकों की आवश्यकता पड़ी। भारत में स्त्री शिक्षा हेतु कार्य करने वाली वह पहली महिला थी। इससे पहले कोई स्त्री सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेती थी। इसलिए उन्हें नारी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली नारी होने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार वे भारत की प्रथम अध्यापिका बनीं।[10]

पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्योतिबा ने अन्नासाहब चिपलूणकर के वाड़े में 3 जुलाई 1851 ई. में कन्याशाला की स्थापना की। स्त्रियों के उत्थान के लिए अनेक कष्ट उठाते हुए ज्योतिबा और सावित्रीबाई, शिक्षा के कार्य में जुटे हुए थे।[11] कन्या पाठशालाओं का प्रारम्भ केवल 8 छात्राओं से हुआ था, किन्तु शीघ्र ही यह संख्या बढ़कर 48 तक पहुंच गयी। अब तक उन्होंने एक पाठशाला प्रबंधन समिति भी बना ली थी। इस प्रबन्ध समिति ने 7 सितम्बर 1851 ई. में एक और बालिका विद्यालय की स्थापना की। तत्पश्चात् 15 मार्च 1852 ई. में एक और कन्या पाठशाला की स्थापना बेताल पेठ में की। इस

प्रकार ज्योतिबा ने 18 विद्यालय खोल दिये थे। 12 जो निम्नवत् है–

	पाठशाला का नाम	शुभारम्भ तिथि
1.	भिडेवाडा, पुणे	01 / 01 / 1848
2.	हरिजन वाडा, पुणे	15 / 05 / 1849
3.	हडपसर, पुणे	01 / 08 / 1848
4.	ओतूर, पुणे	05 / 12 / 1848
5.	सासवड, पुणे	20 / 12 / 1849
6.	आल्हाट का घर, कसबा, पुणे	01 / 07 / 1849
7.	नायगांव, तालुका खंडाला, जिला सातारा	15 / 07 / 1849
8.	शिरवल, तालुका खंडाला, जिला सातारा	18 / 07 / 1849
9.	तलेगांव–ढभढेरे, जिला पुणे	08 / 08 / 1849
10.	शिरवर जिला, पुणे	08 / 08 / 1849
11.	अंजीरवाडी, माजगांव	03 / 03 / 1850
12.	करंजे, जिला सातारा	06 / 03 / 1850
13.	भिंगार	19 / 09 / 1850
14.	मुंढवे, पुणे	01 / 12 / 1850
15.	आप्पासाहब चिपलूकर हवेली, पुणे	03 / 07 / 1851
16.	नाना पेठ, पुणे	01 / 12 / 1851
17.	रास्ता पेठ, पुणे	17 / 12 / 1851
18.	बेताल पेठ, पुणे	15 / 03 / 1852

नोट– यह आंकड़े विजय लक्ष्मी जाटव की शोध प्रबन्ध इन्टनेट के माध्यम से लिया गया है।[13]

2. नारी उद्धारक ज्योतिबा फुले

इतने कम समय में इन पाठशालाओं की स्थापना करते समय फुले दम्पत्ति को सामाजिक और आर्थिक दोनों समस्याओं से जूझना पड़ा। वैसे इन सब गतिविधियों के आधार स्तंभ ज्योतिबा ही थे। वे भारत में स्त्री शिक्षा आन्दोलन के सूत्रधार बन चुके थे।

इन विद्यालयों में पढ़ते–पढ़ते लड़कियां किशोरावस्था में पहुंच गयीं। जिससे उनके सामने नई समस्या पैदा हो गई। अभिभावक लड़कों के साथ अपनी लड़कियां पढ़ाना नहीं चाहते थे। अतः ज्योतिबा ने तरूण किशोरियों के लिए अलग से पढ़ने की व्यवस्था कर दी और इस प्रकार बड़ी लड़कियों के लिए अलग विद्यालय की स्थापना हो गई। उन्होंने ऐसे विद्यालय में निर्धन छात्राओं के लिए पुस्तकालय की स्थापना भी की। ज्योतिबा द्वारा किए गए स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने जून 1852 में उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। उस समय ज्योतिबा मात्र 25 वर्ष के थे। इस अल्पायु में ही वे स्त्री शिक्षा के सच्चे हिमायती के रूप में पहचाने जाने लगे थे। उनको सम्मान स्वरूप सरकार ने 200 रू0, दो शॉल व पुष्पमाला अर्पण कर, उन्हें सम्मानित किया था। उन्हें भारतीय नारी के मुक्तिदाता के रूप में जगह–जगह सम्मानित किया जा रहा था।[14] ज्योतिबा की पाठशालाओं की प्रशंसा चारों ओर हो रही थी। अंग्रेज उच्च अधिकारी से लेकर तत्कालीन समाचार पत्रों तक, मित्रों से लेकर प्रक्रियावादी तक। इस प्रकार ज्योतिबा व उनकी पत्नी के त्याग और परिश्रम के कारण बालिकाओं का भविष्य सुधर रहा था।[15]

3. स्त्री शिक्षा को समर्पित सावित्री बाई फुले

सावित्रीबाई न केवल ज्योतिबा फुले की अर्धांगिनी थीं, वरन् उनके क्रांतिकारी आन्दोलनों की भी अर्धांगिनी बन गयी थीं। ज्योतिबा फुले के समान ही सावित्रीबाई फुले भी धैर्य, समर्पण एवं दूरदृष्टि जैसे अलौकिक गुणों की स्वामिनी थीं। उन्हें नारी सेवा के लिए अपना घर, बच्चे एवं सभी सुखों को त्याग कर कांटों भरे रास्तों पर चलना पड़ा था।

सावित्रीबाई का जन्म सतारा जिले के खंडाला तहसील के नयागांव में 3 जनवरी 1831 ई. में खंडोजी नेवसे पाटिल

के घर हुआ था। 9 वर्ष की अवस्था में 1840 ई. में इनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव गोविन्दराव फुले (ज्योतिबा फुले) के साथ हुआ। इनकी शिक्षा की शुरूआत विवाह के बाद पति द्वारा हुई। उस समय पूना के मिशनरी स्कूल में तीसरी कक्षा में प्रवेश लिया था। वहीं अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण भी लिया। छात्रावस्था में ही इन्होंने नीग्रो की दासता के विरुद्ध संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी टॉमस क्लार्कसन की पुस्तकें भी पढ़ डाली थीं।

ज्योतिबा फुले के समान ही उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी अनेक कष्ट सहन करते हुए, समाज की प्रताड़नाएं सहते हुए, स्वयं शिक्षित हुईं और भारत की प्रथम अध्यापिका का गौरव हासिल कर लिया। उन्होंने नारी शिक्षा आन्दोलन हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। वे भी नारी शिक्षा हेतु अपनी निःशुल्क सेवाऐं देतीं और अपनी आजीविका हेतु खाली समय में मोटे गद्दे बनाकर बेचने का कार्य करती थीं। ज्योतिबा एक सिलाई की दुकान चलाते थे। सावित्री बाई के महान योगदान के सम्बन्ध में ज्योतिबा ने कहा है– ''अपने जीवन में मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ, वह मेरी पत्नी सावित्रीबाई के सहयोग से ही हो सका है। वे कांटों भरे रास्ते में भी मेरे साथ कदम से कदम मिला कर चलती रहीं।'' 19वीं सदी में सार्वजनिक जीवन को अपनाने वाली प्रथम भारतीय महिला का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त है।[16]

कन्या पाठशालाओं की सफलता देखते हुए ज्योतिबा ने अनेक शहरों में विद्यालय खोले, जिसका उल्लेख पहले किया गया है। जिसका कार्यभार सावित्रीबाई के साथ सगुणाबाई आदि महिलाओं को दिया। उनमें से एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने भी सावित्रीबाई का अनुगमन करते हुए सुधारवादी व क्रांतिकारी आन्दोलनों में काफी योगदान दिया। फातिमा शेख, ज्योतिबा के मित्र उस्मान शेख की बहिन थी। जिसे पिता द्वारा घर से निकाल देने के बाद उन्होंने अपने घर में शरण दी थी। यह उस समय की हिन्दू–मुस्लिम प्रेम, सहयोग का अनूठा उदाहरण था। 19वीं सदी की प्रथम भारतीय मुस्लिम अध्यापिका होने का श्रेय भी इन्हीं फातिमा शेख को जाता है।

सावित्रीबाई फुले मात्र स्त्री शिक्षा आन्दोलन तक ही सीमित न रहीं। उनका लक्ष्य स्त्रियों का चहुंमुखी विकास करना था। ज्योतिबा द्वारा खोले गये विधवाश्रम व अनाथाश्रम की देखरेख सावित्रीबाई फुले करती थीं। ज्योतिबा के निधन के बाद उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज की बागडोर वर्ष 1891 ई. से 1897 ई. तक सावित्रीबाई ने संभाली। इन सात वर्ष के कार्यकाल में अनेक सभा सम्मेलनों में जाकर कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन किया तथा सम्बन्धित संस्थाओं का कुशल संचालन भी किया। वह मात्र अध्यापिका व समाजसेवी ही न थीं। वे एक बुद्धिमान लेखिका तथा प्रतिभा संपन्न कवयित्री भी थीं। उनके द्वारा कृत कविता संग्रह 'काव्य फुले' 1854 ई. में प्रकाशित हुई थी।

सावित्रीबाई फुले को इस तरह तत्कालीन वातावरण के विरुद्ध कार्य करते देख उनके भाई व पीहर के अनेक लोगों ने भी मना किया था। किन्तु सावित्रीबाई ने किसी की बात न सुनी और अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ निरंतर कार्य करती रहीं। अपने पति से कहती थीं कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारी विजय निश्चित होगी। 1897 ई. में महाराष्ट्र में प्लेग फैला। जिससे एक बालक की दशा बहुत खराब थी। सब लोग दूर से ही देख रहे थे। सावित्रीबाई ने उसे गले लगाया और कंधे में उठाकर अपने पुत्र यशवंत राव के अस्पताल में ले गयीं। इस बालक से उन्हें भी हैजा हो गया और यह महान क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले का 1897 ई. में निधन हो गया।[17]

निष्कर्ष

नारी प्रेरणा की स्रोत सावित्रीबाई भारत की प्रथम अध्यापिका, समाजसेवी, क्रांतिकारी महिला तो हैं ही, साथ ही भारत में स्त्री मुक्ति आन्दोलन की प्रणेता भी हैं। उन्होंने जिस स्त्री मुक्ति आन्दोलन का सूत्रपात किया था, उसकी बदौलत ही आज अनेक महिलाएं उच्च पदों पर पहुंच सकी हैं। इस प्रकार सावित्रीबाई का नारी उत्थान में जो अभूतपूर्व योगदान था, वह आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भारत की हर शिक्षित नारी उनकी ऋणी है। अतः प्रत्येक शिक्षित नारी का यह कर्त्तव्य है कि वह इस महान नारी सावित्रीबाई फुले से देश की सभी नारियों को अवगत कराएं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना कार्य फुले दम्पति ने किया है वे इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने का हकदार है। वस्तुतः सही मायनो में सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम क्रांतिकारी कार्यकर्त्री है। नारी उत्थान हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयास अभूतपूर्व व अद्वितीय हैं। भारत की ऐसी महान नारियों को वर्तमान सरकारों ने अवगत कराने का कोई प्रयास नहीं किया है और न ही देश में चल रहे महिला संगठनों ने ऐसे प्रयास किए, परन्तु महाराष्ट्र राज्य व महिला संगठन इसके अपवाद हैं।

सावित्रीबाई पूरे देश का गौरव हैं और देश की हर जागरूक जनता का यह कर्त्तव्य बनता है कि वे भारतीय नारी शिक्षा की प्रथम हिमायती नारी से अपने देश की नारियों को परिचित कराएं। आज फुले दम्पति के कार्य, उपलब्धि व प्रेरणा से भारत के अन्य राज्यों की सामाजिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है, परन्तु फुले दम्पत्ति के गुणों व कार्यों का उचित परिमार्जन नहीं हुआ एवं वह सम्मान पूरे भारतवर्ष में अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्र के प्रति महत्त्वपूर्ण महापुरुषों

के साथ ही विश्व के महानतम लोगों की श्रेणी में भी उनका नाम स्वतः आ जाता है, जिस पर उनका अधिकार है। महात्मा बुद्ध, कबीर, मार्टिन लूथर किंग, कार्ल मार्क्स जैसे महान लोगों की पंक्ति में फुले दम्पत्ति का स्थान नियत किया जाना चाहिए। वह भारत के स्त्री शिक्षा के प्रणेता हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. आचार्य, डॉ0 हेमलता, ''भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले'' सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 61
2. सिंह, वी.एन. सिंह, जनमेजय, ''भारत में सामाजिक आन्दोलन'' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, दिल्ली, बंगलुरू, गुवाहाटी, कोलकाता संस्करण, 2016 पृष्ठ 221
3. मिश्रा, डॉ0 प्रीति, ''हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व'' आदित्य पब्लिशर्स ,बीना, म0प्र0, संस्करण 2001, पृश्ठ 51
4. आचार्य, डॉ0 हेमलता, ''भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले'' सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 248
5. चंचरीक, कन्हैयालाल, ''आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन'' यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2003 पृष्ठ 30
6. आचार्य, डॉ0 हेमलता, ''भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले'' सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 258
7. दृष्टि / करेंट अफेयर्स टुडे / जनवरी 2016 पृष्ठ 275
8. आचार्य, डॉ0 हेमलता, ''भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले'' सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 258
9. मेघवाल, डॉ0 कुसुम, ''भारतीय नारी के उद्धारकः बाबासाहेब डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर'' सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, तृतीय संस्करण 2010 पृष्ठ 70,71,72
10. आचार्य, डॉ0 हेमलता, ''भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले'' सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 88
11. मेघवाल, डॉ0 कुसुम, ''भारतीय नारी के उद्धारकः बाबासाहेब डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर'' सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, तृतीय संस्करण 2010 पृष्ठ 72
12. आचार्य, डॉ0 हेमलता, ''भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले'' सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 89
13. मेघवाल, डॉ0 कुसुम, ''भारतीय नारी के उद्धारकः बाबासाहेब डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर'' सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, तृतीय संस्करण 2010 पृष्ठ 73
14. Shodhganga.inflibnet.ac.in/ vijay luxmi jatav
15. मेघवाल, डॉ0 कुसुम, ''भारतीय नारी के उद्धारकः बाबासाहेब डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर'' सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, तृतीय संस्करण 2010 पृष्ठ 73
16. आचार्य, डॉ0 हेमलता, ''भारत में सामाजिक क्रांति के पथ–प्रदर्शक जोतिबा फुले'' सम्यक प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ 91
17. मेघवाल, डॉ0 कुसुम, ''भारतीय नारी के उद्धारकः बाबासाहेब डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर'' सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, तृतीय संस्करण 2010 पृष्ठ 75, 77,78,80